मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 229-30
भोपाल, दिनांक 03/02/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/736/2017

आवेदकः–
मेसर्स मुकुल दत्त पाण्डे,
पुत्र श्री रमेश दत्त पाण्डे ,
डी–70, नेहरू नगर,
भोपाल–462003

विरूद्ध

अनावेदकः–
मेसर्स घेरजी कंस्लटिंग इंजिनियर्स प्रा.लि.,
व्दारा श्री अरूण पाटसी, सी.ई.ओ.ए.
301, कुमार प्लाजा, कलीना–कुर्ला रोड,
कलीना, सांताकूज ईस्ट,
मुम्बई – 4000029

अन्तिम सुनवाई दिनांक 06.01.2021
माध्यस्थम आदेश दिनांक 3/फरवरी/.2021

आवेदक ने दिनांक 16.01.2017 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 3,00,000/– एवं ब्याज राशि रू. 12,960/– कुल राशि 3,12,960/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(1) अनावेदक कंपनी द्वारा एक विशेषज्ञ एवं परिणान्मुखी परियोजना हेतु आवेदक को परियोजना प्रवंध के रूप में रिटेनरशिप हेतु अनुबंधित किया गया। अनुबंध अुनसार आवेदक द्वारा दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 01.10.2016 तक कार्य संपादित कर कुल राशि रू. 3.00 लाख की चार इन्वाईसेस भुगतान के लियें अनोवदक को प्रस्तुत की गई।

(2) अनावेदक द्वारा दोनो पक्षों के मध्य निष्पादित अनुबंध दिनांक 30.09.2016 को रद्द कर दिया गया, जिससे सिद्ध होता है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 30.09.2016 तक आवेदक की सेवाओं का लाभ उठाया गया है। यह तथ्य अनावेदक द्वारा आवेदक की सेवाओं की स्वीकृति का प्रमाण है।

(3) आवेदक के द्वारा अनावेदक को सेवा का भुगतान करने हेतु समय–समय पर ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता रहा, किन्तु अनावेदक से संतोषजनक उत्तर नही मिलने पर आवेदक द्वारा दिनांक 12.09.2016 को विधिक सूचना–पत्र अधिवक्ता के माध्यम से अनावेदक कंपनी को भेजा गया। अनावेदक द्वारा आवेदक को रिटेनरशिप फ़ीस का भुगतान नही किया गया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2210–11 दिनांक 12.04.2017, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

.....2

अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत नही किया गया, अपितु आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2018 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निम्नानुसार आपत्ति प्रस्तुत की गई :–

1. आवेदक श्री मुकुल दत्त पांडे को पत्र दिनांक 22.02.2016 से रिटेनरशिप पर, प्राजेक्ट मैनेजर नियुक्त किया गया। श्री मुकुल दत्त पांडे के कार्यकाल में पाया गया कि वह प्रोजेक्ट के किसी भी अधिकारी को उनके द्वारा रूटीन वर्क, प्रोग्रेस रिपोर्ट और पुरे दिन के कम्यूनिकेशन के सामान्य वर्क प्लेस रिकार्ड सहित पुरे दिन की कोई रिपोर्ट नही दे रहे थे। इसलिये अनावेदक को उनकी सेवाऐं समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नही था।

2. आवेदक श्री मुकुल दत्त पांडे द्वारा प्रस्तुत कम्पलेन्ट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की परिधि में नही आती है। आवेदक द्वारा अनावेदक का उत्पीड़न करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने हेतु दुर्भावनावश एवं गलत इरादे से दावा प्रस्तुत किया गया है। तथापि आवेदक की नियुक्ति मुबई थी एवं आवेदक कोई भी शिकायत मुबई क्षेत्राधिकार में ही कर सकता है। इसलिए इस विवाद को सुनने का न्यायक्षेत्र इस फेसिलिटेशन काउन्सिल का नही है।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 27.05.2017, 28.04.2018 एवं दिनांक 06.01.2021 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

सुनवाई दिनांक 27.05.2017, 28.04.2018 को अनावेदक अनुपस्थित रहें।

सुनवाई दिनांक 06.01.2021, को काउंसिल सुनवाई बैठक में आवेदक मेसर्स मुकुल दत्ता पाण्डे, भोपाल की ओर से श्री एल0के0 दुबे, एडवोकेट **उपस्थित** एवं अनावेदक मेसर्स घेरजी कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा0लि0, मुंबई की ओर से श्री अरूण पाटकी/प्रतिनिधि दूरभाष पर **उपस्थित**।

बैठक में उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक ने अवगत कराया कि, आवेदक ने अनावेदक को सर्विस प्रदाय की थी, जिसका भुगतान अनावेदक द्वारा नहीं किया गया है। अनावेदक ने अवगत कराया कि, उनके द्वारा कोई देनदारी शेष नहीं है, परन्तु अनावेदक कोई प्रमाणिक अभिलेख काउंसिल को उपलब्ध नहीं करा सके।

दावा आवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के परीक्षण उपरांत काउंसिल द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि, वे आवेदक को रु0 3.00 लाख (रुपए तीन लाख) का भुगतान करें। प्रकरण अंतिम आदेश हेतु नियत किया गया। अंतिम आदेश पारित हो।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रस्तुत अभिलेखों से, आवेदक के बिलो की राशि रू. 3.00 लाख अनावेदक पर बकाया होना प्रमाणित होता है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक मेसर्स घेरजी

.....3

कंस्लटिंग इंजिनियर्स प्रा.लि., व्दारा श्री अरूण पाटसी, सी.ई.ओ.ए. 301, कुमार प्लाजा, कलीना–कुर्ला रोड, कलीना, सांताकूज ईस्ट, मुम्बई–400029 द्वारा, मूलधन राशि रू. 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) का भुगतान आवेदक को मेसर्स मुकुल दत्त पाण्डे, पुत्र श्री रमेश दत्त पाण्डे, डी–70, नेहरू नगर, भोपाल को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अवार्ड राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(शरद मोहन अग्रवाल)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।